**<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>**

पीठासीन अधिकारीः- **सुनील कुमार पंचोली,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- **385/2026 (CIS N. 416/2026)**

दलीप पुत्र धोलूराम, उम्र 41 वर्ष, निवासी ढाणी बावड़ी तन ककराना, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज०) **...प्रार्थी/अभियुक्त**

**//बनाम//**

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **....विपक्षी**

**जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
**बमुकदमा एफआईआर संख्या 384/2025 पुलिस थाना गुढागौडजी**
**<u>अन्तर्गत धारा 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता</u>**

**<u>उपस्थितः-</u>**
1 श्री दीपेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

**<u>आदेश</u>** **दिनांकः- 09.07.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त दलीप की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 01.06.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2025 को परिवादिया सरोज देवी ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना गुढागौडजी पर इस आशय की प्रस्तुत की कि परिवादिया के पति ने चंवरा गांव में हलवाई के बर्तनों की दुकान कर रखी है। दुकान से दिनांक 13.09.2025 को रात्रि को जब उसका पति घर नहीं आया तो उसने अपने पति को फोन किया तो फोन दिलीप ने उठाया और कहा कि पन्द्रह मिनट में अपने ससुर को लेकर कृष्ण पुत्र गोविन्दराम निवासी चंवरा के घर आ जाओ नहीं तो वे इसे मार डालेंगे। उसने कहा कि क्या बात हो गई इस पर दिलीप ने कहा कि यहां आकर ही बात होगी। इस पर वह, उसका ससुर नानूराम, उसका बेटा हिमांशु, प्रदीप और मिन्टू कृष्ण के घर गए तो वहां पर दिलीप, कृष्ण और तीन–चार आदमी और थे, उसके पति को जबरन बैठा रखा था तथा जान से मारने की बात कर रहे थे। दिलीप ने कहा कि एक लड़की कल्या जो अपनी मावसी के पास रह रही है, उसे बाबूलाल अपनी दुकान में अकेली को बैठाकर दुकान का शटर डाउन करके गलत काम करता है। अब रात होने की वजह से सुबह यहीं बैठकर मामले को सलटा

लेंगे। जब दिनांक 14.09.2025 को सुबह आठ बजे वह, उसका पति बाबूलाल, ससुर नानूराम कृष्ण के घर गये तो वहां पर पहले से ही दिलीप, कृष्ण, कल्या और पांच–छः अन्य आदमी बैठे थे। दिलीप ने कहा कि तीन लाख रूपये दो इस मामले को यही रफा दफा कर देंगे। उसके ससुर ने कहा कि उनके पास तो तीन लाख रूपये नहीं हैं, यह कहकर वापस आ गये, उसके पति को वहीं रोक लिया। दिलीप व कृष्ण ने कहा कि एक घण्टे बाद भेज देंगे। इसके बाद 14.09.2025 को लगभग दस बजे उसक पति घर आ गया तो वह बाहर घर का काम कर रही थी तो उसका पुत्र हिमांशु दौड़ता चिल्लाता हुआ उसके पास आया, कहा कि मम्मी पापा उल्टी कर रहा है। उसने जाकर देखा तो उसका पति बाबूलाल उल्टी कर रहा था। उसने अपने ससुर को बुलाया तो उसके पति ने कहा कि मजबूरी में दबाव में आकर तंग होने की वजह से जहर खा लिया। उससे दिलीप पुत्र धोलूराम निवासी ककराना, कृष्ण पुत्र गोविन्दराम निवासी चंवरा ने कल्या को लेकर कई बार रूपये ले लिए है, पिछले बीस दिनों से ये लोग व कल्या रोज–रोज रूपये मांगते रहते है। उससे लगभग दो लाख रूपये हड़प लिए तथा पुलिस कार्यवाही की धमकी देते है। कहते है कि उसको बदनाम कर देगें, समाज में किसी के लायक नहीं छोडेंगे। इसको लेकर रोज–रोज पैसे ले जाते हैं, इससे वह तंग आ गया है इसलिए दिलीप, कृष्ण व कल्या से तंग आकर जहर खा लिया। बेहोश होने पर वह व उसका ससुराल गुढागौडजी अस्पताल लेकर गये जहां से झुंझुनूं रेफर कर दिया। झुंझुनूं से जयपुर रेफर कर दिया जहां इलाज के दौरान दिनांक 16.09.2025 को दुर्लभजी अस्पताल जयपुर में खत्म हो गया इत्यादि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 384/2025 अन्तर्गत धारा 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 31.05.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्त के विरूद्ध धारा 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो इस न्यायालय को उपार्पित किया जा चुका है।

3. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी/तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को इस प्रकरण में गलत रूप से आलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि सह अभियुक्त कृष्ण कुमार की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी का मामला उससे भिन्न नहीं है। प्रार्थी से कोई अनुसंधान बकाया नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है जिसके विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त का विरोध कर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 108 व 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। सह अभियुक्त कृष्ण कुमार की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी क्रिमिनल मिस. बेल अप्लीकेशन नंबर 8675/2026 में दिनांक 06.07.2026 को पारित आदेश द्वारा स्वीकार की जा चुकी है,वर्तमान प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उससे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है जिसके विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त को और अधिक समयावधि तक अभिरक्षा में रखे जाने से किसी भी प्रयोजन की पूर्ति होना जाहिर नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दलीप** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत इस न्यायालय की संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए

की दो मोतबिर जमानतें और पचास हजार रूपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

8. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

**(सुनील कुमार पंचोली)**
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

9. आदेश आज दिनांक **09.07.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

**(सुनील कुमार पंचोली)**
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.10 15:44:16 IST